न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

श्रीराम बनाम अमिता कुमारी आदि

किस्म मुकदमा 111 [illegible] मु.नं. 93 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	जिसमें अप्रार्थीगण भी उपस्थित थे परन्तु उनके द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की साक्ष्य नपती द्वारा साबित हो गई तो हस्ताक्षर करने से ईन्कार कर दिया ओर अब 8 माह बाद इसकी आपत्ति जिसके बारे में पूर्व में कोई आपत्ति नही की गई थी अब प्रस्तुत कर रहे है जो मियाद बाहर है यथा समय आपत्ति प्रस्तुत नही की गई केवल अतिक्रमीत भूमि पर फसल प्राप्त करने की नियत से व नाजायज फायदा उठाने की नियत से आवेदन प्रस्तुत कर रहे है यदि स्वयं भी अपने खातेदारी की भूमि की नपती व सीमाज्ञान करवाना चाहे तो स्वयं आवेदन प्रस्तुत कर करवा सकते है आवेदक अपने खातेदारी की भूमि पर पत्थर गड्डी पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाना चाहता है तो उन्हे आपत्ति करने का अधिकार हासिल नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।"
	उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली व उक्त आपत्ति आवेदन व जवाब आपत्ति आवेदन का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार से प्राप्त सीमाज्ञान रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान के बाबत रिपोर्ट पेश की है। जो कि प्रथमतः उचित प्रतीत होती है। फिर भी अप्रार्थीगण अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाना चाहे तो वह स्वतंत्र है। लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर हस्तगत प्रकरण में आपत्ति आवेदन पेश किया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है। साथ ही वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के आपत्ति आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किया है, जिससे उनका पक्ष सबल हो। अतः वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का उक्त आपत्ति आवेदन अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
	अतः वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25.03.2025 दिनांकित 23.12.2025 को अस्वीकार किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस मूल आवेदन दिनांक 15.04.2026 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर
15/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस मूल आवेदन दि० 27/04/26 को पेश हो
27/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप.। पत्रावली को माननीय न्यायालय [illegible] के यहां तलब की गई है अतः प्राप्त पत्र की पालना के मुताबिक उक्त न्यायालय के यहां भिजवाई जाती है उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner